POLICE COMMISSIONERATE
GAUTAM BUDH NAGAR
सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 09.04.2025

1. थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा 02 साइबर अपराधी गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **09-04-2025** को **थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये वादी मुकदमा नि0 नोएडा के साथ फोन कॉल के माध्यम से संपर्क कर वादी द्वारा ली जा रही एसयूवी-700 कार का शीघ्र फाइनेंस दिलाने का झांसा देकर लोन दिलाने के नाम पर वादी से लोन के लिये चेक लेकर, चेक पर मैजिक पेन से हस्ताक्षर कराकर कूटरचना कर तथा वादी के मोबाइल नं0 को कस्टमर केयर में फोन कर नंबर बंद कराकर 525000 रुपए की धोखाधडी करने वाले 02 शातिर साइबर अपराधियो को **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 24.03.2025 को थाना स्थानीय पर लिखित सूचना देकर मु0अ0सं0 12/2025 धारा 316(2), 318(4)338, 336(3) 340(2) बीएनएस व 66 आई0टी0एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया।

घटना क्रम के अनुसार वादी द्वारा एसयूवी-700 कार को खरीदने हेतु कई डीलरो से सम्पर्क कर कोटेशन लिया गया था। इसी क्रम में 01 साइबर अपराधी राजीव ढीगरा ने वादी से स्वयं का नाम आशीष बताकर व खुद को फाइनेन्शर बताकर सम्पर्क किया गया तथा कई डीलरो से परिचय होना बताकर गाडी का फाइनेंस कराकर जल्दी डिलीवरी दिलवाने का झांसा दिया गया। उसके बाद राजीव ढीगरा वादी के घर अपने 01 अन्य साथी प्रेम प्रकाश सिह को अंकित नाम से परिचय देकर ले गया व वादी से लोन करने के नाम पर 01 केन्सिल व 02 अन्य चैक 34265-34265 रूपये के प्राप्त किये गये। जिन चेको पर वादी से मैजिक पेन से हस्ताक्षर करवाकर एकाउंट पेयी चेक लेकर मेजिक पेन से उक्त चेक में कूटरचना कर अकाउंट पेयी मिटाकर चेक में सेल्फ पे अंकित कर एवं चेक के पीछे वादी के हस्ताक्षर की कूटरचना कर व फर्जी मोहर लगाकर 5,25,000 रूपये एस0बी0आई0 बैंक की शाखा बल्लभगढ हरियाणा से निकाल लिये गये थे। जिसके सम्बन्ध में उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में वादी के सोसाइटी एवं बैंक के सीसीटीवी फुटेज व इलैक्ट्रॉनिक साक्ष्य एवं अन्य साक्ष्य प्राप्त किये गये तथा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 09-04-2025 को घटना में सम्मिलित 01 अभियुक्त राजीव ढीगरा को गिरफ्तार किया गया। विवेचना में प्राप्त साक्ष्य व अभियुक्त से की गयी पूछताछ के आधार पर अभियोग में धारा 238 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। घटना में सम्मिलित 01 अन्य अभियुक्त प्रेमप्रकाश सिंह को दिनांक 09/04/2025 को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया

गया कि उनके द्वारा झांसे से प्राप्त किए गए चेक में अंकित अमाउंट एवं अन्य विवरण को मैजिक पेन से मिटाकर उस चेक में 5,25,000 रूपये अंकित किये तथा चैक को सेल्फ पे किया गया एवं वादी के हस्ताक्षर की कूट रचना की गई जिसको एसबीआई की बल्लभगढ़ हरियाणा शाखा में लगाकर नगद 5,25,000 रूपये निकाल लिए गए। पूछताछ में उनके द्वारा यह भी बताया गया की उनके द्वारा गूगल के माध्यम से किसी का आधार कार्ड प्राप्त किया गया जिस पर मॉर्फीग कर फोटो बदलकर बिना बायोमेट्रिक के सिम प्राप्त कर लिया गया फिर फर्जी सिमो को सेकन्ड हेंड मोबाइल फोन में डालकर वादी से वार्ताकर घटना को अंजाम दिया गया तथा लेन देन के सम्बन्ध में वादी को जानकारी न हो इसके लिए एयरटेल के कस्टमर केयर को फोन करके वादी के फोन को बंद करा दिया गया तथा घटना के बाद अपराध में प्रयोग किए गए मोबाइल फोन, मैजिक पेन आदि तोड़कर हिंडन नदी के पास फेंक दिया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1- राजीव धींगरा पुत्र मुरलीधर ढींगरा उम्र करीब 47 वर्ष
2- प्रेम प्रकाश सिंह पुत्र स्वर्गीय अरुण प्रकाश सिंह उम्र करीब 41 वर्ष

नोट-- साइबर जागरूकता सुझाव

1. साइबर से सम्बन्धित किसी समस्या के लिये साइबर क्राइम हेल्पलाईन नम्बर 1930 अथवा साइबर क्राइम की वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें।
2. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड व आधार कार्ड अपडेट करने के लिये बैंक कोई लिंक नहीं भेजा जाता है
3. यदि आपके पास किसी अनजान नंबर से फोन कॉल आती है और फोन करने वाला व्यक्ति अपने आप को फाइनेंसर डीलर या किसी टेलीकॉम कंपनी का कर्मचारी बताता है तो आप उसकी बात पर तत्काल विश्वास ना करें उस व्यक्ति के बारे में जब तक सही ढंग से जानकारी न कर लें तब तक अपनी कोई निजी जानकारी साझा ना करें अन्यथा आप साइबर धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं
4. यदि आप किसी बैंक या प्राइवेट लोन देने वाली संस्था से लोन ले रहे हैं तो जब तक आपके लोन की प्रक्रिया कंप्लीट ना हो एवं जब तक संबंधित संस्था से वास्तविक जानकारी प्राप्त न हो तब तक अपनी निजी जानकारी ना दें एवं किसी भी कागजात पर कोई हस्ताक्षर न करें।
5. यदि आप लोन से संबंधित या किसी अन्य वित्तीय लेनदेन से संबंधित कागजात पर हस्ताक्षर कर रहे हैं तो पहले उसे अच्छे से पढ़ लें एवं उसके बाद स्वयं के पेन से हस्ताक्षर करें क्योंकि वर्तमान समय में धोखेबाज मैजिक पेन व अन्य डिवाइस से युक्त पेन के माध्यम से हस्ताक्षर कराकर आपके हस्ताक्षर का नमूना प्राप्त कर सकते हैं व अन्य जगह प्रयोग कर अपराध कारित कर सकते हैं।